

गकत खापाप्रति माडेन डि०।५-४-१३ आगमि वाद सं० ६/०३५२१
 १५३ जगीदारी आगमि तालयाम परगना तालयाम तहसील खिबरामऊ जिला
 आगमि २४ वेदी बालिका डिग्री कालेज निरमाणाधीन सरकार खाणालु ४५
 जिलाधिकारी खिबरामऊ जिला आगमि वाद सं० ६/०३५२१

न्यायालय उपजिलाधिकारी खिबरामऊ, जनपद कन्नौज

वाद संख्या ६ / 2013

घारा- 143 उ०प्र०ज०वि०अ०

रामवेदी बालिका डिग्री कालेज

ग्राम- तालयाम

बनाम

परगना- तालयाम

सरकार

तहसील- खिबरामऊ



निर्णय

प्रस्तुत वाद रामवेदी बालिका डिग्री कालेज निकवा तालयाम कन्नौज द्वारा प्रबन्धक/ सचिव डा० अजयपाल सिंह पुत्र श्री रविनाथ सिंह निवासी सिविल लाइन्स फूंसबंगला फतेहगढ, फर्लासाबाद के द्वारा प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र सहित प्रस्तुत किया गया है, कि गाटा संख्या 2882छ रकवा 2.40 एकड में से रकवा 1.22 एकड़ यानि 0.4941 हे० (4941 वर्गमीटर) स्थित ग्राम तालयाम परगना तालयाम तहसील खिबरामऊ जनपद कन्नौज संक्रमणीय भूमिघर है। उक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा दखल है तथा उक्त आराजी रामवेदी बालिका डिग्री कालेज के नाम अंकित है। उक्त भूमि कृषि प्रयोजन में नहीं लाई जा रही है, अतः उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जावे।

उपरोक्त के आधार पर प्रार्थनापत्र की जाँच तहसीलदार खिबरामऊ से करायी गयी। तहसीलदार खिबरामऊ द्वारा अपनी आख्या दिनांक 12.08.2013 मय नजरी नक्शा संस्तुति सहित प्रेषित की गयी। आख्यानुसार गाटा संख्या 2882छ रकवा 1.22 एकड यानि 0.4941 हे० (4941 वर्गमीटर) स्थित ग्राम तालयाम परगना तालयाम तहसील खिबरामऊ के संक्रमणीय भूमिघर दर्ज है। उक्त भूमि पर डिग्री कालेज निकवा तालयाम के नाम संक्रमणीय भूमिघर है। उक्त आराजी पर रामवेदी बालिका डिग्री कालेज निर्माणाधीन है तथा मौके पर कृषि प्रयोजन में नहीं लाई जा रही है। उक्त भूमि को घारा 143 जगीदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु तहसीलदार खिबरामऊ द्वारा संस्तुति की गयी है, अतः ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि को अकृषिक किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर रामवेदी बालिका डिग्री कालेज निकवा तालयाम कन्नौज द्वारा प्रबन्धक/ सचिव डा० अजयपाल सिंह पुत्र श्री रविनाथ सिंह निवासी सिविल लाइन्स फूंसबंगला फतेहगढ फर्लासाबाद की गाटा संख्या 2882छ रकवा 2.40 एकड में से 1.22 एकड़ यानि 0.4941 हे० (4941 वर्गमीटर) स्थित ग्राम तालयाम परगना तालयाम तहसील खिबरामऊ जनपद कन्नौज को कृषि कार्य, मुर्गीपालन, वागवानी (जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन, सम्बर्द्धन तथा कुक्कुट पालन भी है) से असम्बद्ध प्रयोजनार्थ प्रयोग करने के कारण अकृषिक भूमि घोषित की जाती है। नजरी नक्शा आदेश का अंग होगा। आदेश की एक प्रति तहसीलदार खिबरामऊ को नियमानुसार अगिलेखा में अमलदरामद व एक प्रति उपनिबन्धक खिबरामऊ को भेजी जावे। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अगिलेखागार की जावे।

गकम करी/ मुख्त
 करी
 21/7/22

14/8/13
 (पी०के० सक्सेना)
 उपजिलाधिकारी खिबरामऊ

क्र 6865
 दिनांक 28-6-22
 नाम प्रार्थी श्री राजेश कुमार
 तैयारी का दिनांक 27-22
 वितरण का दिनांक 27-22
 रखमीना 3-7-22

सत्य प्रतिलिपि
 22



गणतंत्र शासक प्रि कोड 30-5-15 शासक प्रि कोड 1174
 143 जमीन का ग्राम व परगना तालग्राम फतेहगढ फरुखाबाद के द्वारा प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र सहित
 रामवेटी बालिका डिग्री कालेज पर सरकार मुख्यालय उपनिवेश कारी विभाग
 जिला कारी कोड 30-5-15 के तहत

न्यायालय उपजिलाधिकारी छिबरामऊ, जनपद कन्नौज

वाद संख्या D 20150339001174 धारा- 143 उपप्र0ज0वि0अ0
 रामवेटी बालिका डिग्री कालेज ग्राम- तालग्राम
 बनाम परगना- तालग्राम
 सरकार तहसील- छिबरामऊ

निर्णय

प्रस्तुत वाद रामवेटी बालिका डिग्री कालेज निकवा तालग्राम कन्नौज द्वारा प्रबन्धक/सचिव डा0 अजयपाल सिंह पुत्र श्री रविनाथ सिंह निवासी सिविल लाइन्स फूसबंगला फतेहगढ, फरुखाबाद के द्वारा प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र सहित प्रस्तुत किया गया है, कि गाटा संख्या 2882छ रकवा 0.9710 हे0 में से 9.43 ए0 यानी (94.37 वर्गमीटर) स्थित ग्राम तालग्राम परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज संक्रमणीय भूमिघर है। उक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा दखल है तथा उक्त आराजी रामवेटी बालिका डिग्री कालेज के नाम अंकित है। उक्त भूमि कृषि प्रयोजन में नहीं लाई जा रही है। अतः उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जावे।



उपरोक्त के आधार पर प्रार्थनापत्र की जाँच तहसीलदार छिबरामऊ से करायी गयी। तहसीलदार छिबरामऊ अपनी आख्या दिनांक 25.05.2015 मय नजरी नक्शा संस्तुति सहित प्रेषित की गयी। आख्यानुसार गाटा संख्या 2882छ रकवा 0.9710 हे0 में से रकवा 9.43ए0 यानी (94.37 वर्गमीटर) स्थित ग्राम तालग्राम परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ के संक्रमणीय भूमिघर दर्ज है। उक्त भूमि पर डिग्री कालेज निकवा तालग्राम के नाम संक्रमणीय भूमिघर है। उक्त आराजी पर रामवेटी बालिका डिग्री कालेज बना है तथा मौके पर कृषि प्रयोजन में नहीं लाई जा रही है। उक्त भूमि को धारा 143 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु तहसीलदार छिबरामऊ द्वारा संस्तुत की गयी है अतः ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि को अकृषिक किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर रामवेटी बालिका डिग्री कालेज निकवा तालग्राम कन्नौज द्वारा प्रबन्धक/सचिव डा0 अजयपाल सिंह पुत्र श्री रविनाथ सिंह निवासी सिविल लाइन्स फूसबंगला फतेहगढ फरुखाबाद की गाटा संख्या 2882छ रकवा 0.9710 हे0 में से 9.43 ए0 यानी (94.37 वर्गमीटर) स्थित ग्राम तालग्राम परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज को कृषि कार्य, मुर्गीपालन, बागवानी (जिसके अन्तर्गत मस्त्य पालन, सम्बर्द्धन तथा कुक्कुट पालन भी है) से असम्बद्ध प्रयोजनार्थ प्रयोग करने के कारण अकृषिक भूमि घोषित की जाती है। नजरी नक्शा आदेश को अंग होगा। आदेश की एक प्रति तहसीलदार छिबरामऊ को नियमानुसार अभिलेखों में अमलदरामद व एक प्रति उपनिबन्धक छिबरामऊ को भेजी जावे। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखालय की जावे।



राजेश श्री / अक्षय श्री 22/6/22

(रामबहादुर वर्मा)
 उपजिलाधिकारी छिबरामऊ

संख्यांक 6864
 दिनांक 28-6-22

सत्य प्रतिलिपि

नवम्ब १५/०८/२२ कोर्ट डायरी ३०/८/२२ मय प्रवक्ता नवम्ब १५/०८/२२
 वावर बाउस (बा) २०२२ ०३५००२०५८८७ धार ८० उच्च शिक्षा
 रावव सहित ~~कुक्कुट पालन~~ ~~मुर्गी पालन~~ ~~बागवानी~~ ~~अन्य~~ ~~अन्य~~ ~~अन्य~~
 देहात परगना - कावगाव प्रवक्ता उच्च शिक्षा विभाग नवम्ब १५/०८/२२
 आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी (तहसील स्तर), न्यायिक
 मण्डल : कानपुर, जनपद : कन्नौज, तहसील : छिबरामऊ
 वाद संख्या : -4887/2022
 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202203400204887
 अजयपाल सिंह बनाम सरकार
 अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिबिल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ तहसील फर्रुखाबाद सदर जनपद फर्रुखाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह याचना की गई है कि स्थित मौजा तालग्राम देहात परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ की खाता संख्या 02749 की गाटा संख्या 2882णमि0/0.2380हे0 है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर विद्यालय निर्माणाधीन है एवं उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कृषि कार्य कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन बागवानी आदि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि को अकृषित घोषित किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार छिबरामऊ से जाँच करायी गयी। तहसीलदार छिबरामऊ द्वारा अपनी जाँच आख्या दिनांक 24.08.2022 (मय नजरी नक्शा) प्रस्तुत कर यह अवगत कराया गया है कि आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिबिल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ तहसील फर्रुखाबाद सदर जनपद फर्रुखाबाद का नाम खतौनी सन् 1426-1431 की फसली के खाता सं०-02749 की गाटा सं०-2882णमि0/0.2380हे0 पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। जिसमें आवेदक का 0.2380हे0 हिस्सा है। उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा पूर्ण रूप से भवन निर्माण कर व्यावसायिक रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिबिल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ तहसील फर्रुखाबाद सदर जनपद फर्रुखाबाद के द्वारा भवन निर्माण कर व्यावसायिक रूप में प्रयोग कर रहा है। उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा कुक्कुट पालन/मुर्गी पालन का व्यवसाय नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि सुरक्षित भूमि नहीं है तथा ग्राम सभा व धारा-77 से वाधित नहीं है व सार्वजनिक न्यूसेंस, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा व सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है तथा महायोजना के अन्तर्गत नहीं है। उक्त भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग/अन्य मार्ग हेतु अधिग्रहीत भूमि नहीं है न ही इस भूमि पर कोई मुआवजा लिया गया है। उक्त भूमि की चौहदी पूर्व में खेत आनन्द कुमार आदि, पश्चिम में रामबेटी बालिका डिग्री कालेज, उत्तर में निकवा जल किया मार्ग, दक्षिण में खेत भारत सिंह है। निर्धारित कुल शुल्क 5950रु0 जमा किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा मूल स्टाम्प मु0 5950रु0 कुल ज्यूडिशियल स्टाम्प दाखिल किया गया है। उपरोक्त भूमि को अकृषित घोषित किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा संस्तुति की गयी है, अतः ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि को अकृषित घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

तहसीलदार छिबरामऊ की उपरोक्त आख्या के आधार पर आवेदक की भूमि स्थित मौजा तालग्राम देहात परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ की खाता संख्या 02749 की गाटा संख्या 2882णमि0/0.2380हे0 भूमि को कृषि कार्य, मुर्गी पालन व बागवानी (जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन सम्बद्ध तथा कुक्कुट पालन भी है) से असम्बद्ध प्रयोजनार्थ प्रयोग करने के कारण राजस्व संहिता की धारा-80(1) के अन्तर्गत अकृषित घोषित किया जाता है तथा निर्धारित मालगुजारी से प्रार्थी को अंशानुसार मुक्त किया जाता है। नजरी नक्शा आदेश का अंग होगा। आदेश की एक प्रति तहसीलदार छिबरामऊ को नियमानुसार अभिलेखों में अमलदरामद हेतु व एक प्रति उपनिबन्धक छिबरामऊ को भेजी जावे। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार की जावे।



30-8-22
 (राकेश कुमार त्यागी)
 उप जिलाधिकारी (न्यायिका)
 छिबरामऊ

पृष्ठ संख्या :

114

5=132

30/8/22
 30/8/22
 30/8/22

नकाश छापा नं. आदेश क्रि.क 26.8.22 नजरी नक्शा लड्डिका
 वाक 3 संख्या-1 202203390002030 धारा 80 उप.शपथ
 लड्डिका. आजादा मालगुजारी हस्तम्प मोबा. तालग्राम देहात परगना.
 तालग्राम देहात विद्यालय व्यापार उपविभाग विद्यालय

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी, छिबरामऊ
 मण्डल : कानपुर, जनपद : कन्नौज, तहसील : छिबरामऊ

वाद संख्या :- 2030/2022

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- D202203390002030

अजयपाल सिंह बनाम सरकार

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिबिल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ तहसील फर्रुखाबाद सदर जनपद फर्रुखाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह याचना की गई है कि स्थित मौजा तालग्राम देहात परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ की खाता संख्या 02836 की गाटा संख्या 2882णमि0/0.2380हे0 में से 0.081हे0 हिस्सा है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर विद्यालय निर्माणाधीन है एवं उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कृषि कार्य कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन बागवानी आदि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि को अकृषित घोषित किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार छिबरामऊ से जाँच करायी गयी। तहसीलदार छिबरामऊ द्वारा अपनी जाँच आख्या दिनांक 24.08.2022 (मय नजरी नक्शा) प्रस्तुत कर यह अवगत कराया गया है कि आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिबिल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ तहसील फर्रुखाबाद सदर जनपद फर्रुखाबाद का नाम खतौनी सन् 1426-1431 की फसली के खाता सं0-02836 की गाटा सं0-2882णमि0/0.2380हे0 पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। जिसमें आवेदक का 0.081हे0 हिस्सा है। उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा पूर्ण रूप से भवन निर्माण कर व्यावसायिक रूप में प्रयोग कर रहा है। आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिबिल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ तहसील फर्रुखाबाद सदर जनपद फर्रुखाबाद के द्वारा भवन निर्माण कर व्यावसायिक रूप में प्रयोग कर रहा है। उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा कुक्कुट पालन/मुर्गी पालन का व्यवसाय नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि सुरक्षित भूमि नहीं है तथा ग्राम सभा व धारा-77 से वाधित नहीं है व सार्वजनिक न्यूसेंस, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा व सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है तथा महायोजना के अन्तर्गत नहीं है। उक्त भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग/अन्य मार्ग हेतु अधिग्रहीत भूमि नहीं है न ही इस भूमि पर कोई मुआवजा लिया गया है। उक्त भूमि की चौहद्दी पूर्व में खेत प्रेमा देवी आदि, पश्चिम में एस0जी0आर0 महाविद्यालय, दक्षिण में सडक जल किया मार्ग, उत्तर में यदुनाथ सिंह आदि है। जिसका निर्धारित कुल शुल्क 2025रू0 जमा किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा मूल स्टाम्प मु0 2025रू0 कुल ज्यूडिशियल स्टाम्प दाखिल किया गया है। उपरोक्त भूमि को अकृषित घोषित किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा संस्तुति की गयी है, अतः ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि को अकृषित घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

तहसीलदार छिबरामऊ की उपरोक्त आख्या के आधार पर आवेदक की भूमि स्थित मौजा तालग्राम देहात परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ की खाता संख्या 02836 की गाटा संख्या 2882णमि0/0.2380हे0 में से 0.081हे0 हिस्से की भूमि को कृषि कार्य, मुर्गी पालन व बागवानी (जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन सम्बर्द्धन तथा कुक्कुट पालन भी है) से असम्बद्ध प्रयोजनार्थ प्रयोग करने के कारण राजस्व संहिता की धारा-80(1) के अन्तर्गत अकृषित घोषित किया जाता है तथा निर्धारित मालगुजारी से प्रार्थी को अंशानुसार मुक्त किया जाता है। नजरी नक्शा आदेश का अंग होगा। आदेश की एक प्रति तहसीलदार छिबरामऊ को नियमानुसार अभिलेखों में अमलदरामद हेतु व एक प्रति उपनिबन्धक छिबरामऊ को भेजी जावे। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार की जावे।

पृष्ठ संख्या :

110 दि. 26/8/2022

सत्य - प्रतिलिपि



(अशोक कुमार)
 उप जिलाधिकारी
 छिबरामऊ

प्रार्थी का नाम श्री अमितेश सिंह
 पत्रक नं. दिनांक 30/8/22
 नजरी नक्शा दिनांक 30/8/22

30-8-22